<u>आदेश पत्रिका</u>

<u>क्लेम प्रकरण क्रमांक 1326/2022</u>

एमजेसी क्रमांक 669/2026

<u>अर्जुन वि. संजय मोहनिया आदि</u>

(आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 13.05.2026)

आवेदक अर्जुन सहित श्री पियूष ओझा अधिवक्ता उपस्थित।

बीमा कंपनी की ओर से श्री मनोज जैन अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक के आवेदन दिनांक 04.05.2026 पर सुना गया।

मूल अभिलेख, अभिलेखागार से प्राप्त।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में है कि आवेदक अर्जुन का वाहन दुर्घटना में आई चोटों के कारण अवार्ड की संपूर्ण राशि को एफडी कर दिया गया था एवं आवेदक को नगद भुगतान नहीं किया गया था एवं इलाज के लिये रिश्तेदारों से लिये उधार पैसे देना है। प्रकरण में आवेदक को 5,56,328/– रूपये की एफडीआर तीन वर्ष के लिये की गयी थी। आवेदक को इलाज हेतु एवं रिश्तेदारों द्वारा लिये गये उधार पैसों को वापस करना है। उसके पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। एफडीआर का समय पूर्व भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन पर विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक को उचित इलाज हेतु एवं उधार लिये गये रूपयों की आवश्यकता है। आवेदक द्वारा आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार आवेदक वयस्क हो चुका है। सावधि में जमा राशि आवेदक के हित के लिये ब्याज प्राप्ति हेतु तीन वर्ष के लिये जमा की गयी थी। आवेदक को इलाज हेतु पैसे की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सावधि जमा को समय पूर्व भुगतान किये जाने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक को पत्र जारी हो कि वह सावधि जमा खाता क्रमांक 43586142880 में जमा राशि मय ब्याज आवेदक को भुगतान की जावे तथा आवेदक अर्जुन के नाम से जमा राशि 5,56,328/– का आज दिनांक तक के

ब्याज सहित भुगतान किया जावे।

परिणाम दर्ज होकर अभिलेख अभिलेखागार में जमा हो।

आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न की जाये।

सही/–

(नरसिंह बघेल)

15वें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

इन्दौर (म.प्र.)